न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 12/2025
रजिस्ट्रेशन नं. :2025/14

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री जयेश दोसी पुत्र श्री विनोद दोसी निवासी–जवाहर कोलोनी तह. रोड परतापुर, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– न्यू पुष्प दन्त किराणा स्टोर, तह. रोड परतापुर बांसवाडा (राज) मो. नं. 7737168593
2. श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– सन्दीप ट्रेडर्स कोलेज रोड बांसवाडा मो. नं. 9414102285
3. श्री अरविन्द कुमार जैन (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– **J.B. Company, 35 Third floor, Krishi Mandi, Udaipur Rajasthan. 313001** मो. नं. 9414159791
4. श्री ऋषी पाण्डेय पुत्र श्री श्यामसुन्दर पाण्डेय (नोमिनी) निवासी गली नं. 2 आर्यनगर, कोसीकला रूरल, मथुरा, उत्तरप्रदेश–281403 मो. नं. 9462666030 मैसर्स –**Livlite Industries Private Limited, Khewat No 171,172,174, Gudhala, Tehsil-Punhana, Dist- Nuh, Haryana- 122508** मो. नं. 9462666030
5. मैसर्स –**Livlite Industries Private Limited, Khewat No 171,172,174, Gudhala, Tehsil- Punhana, Dist- Nuh, Haryana- 122508** मो. नं. 9462666030

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 01–04–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

28–02–2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **18–03–2024** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स– न्यू पुष्प दन्त किराणा स्टोर, तह. रोड परतापुर गढी, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री जयेश दोसी पुत्र श्री विनोद दोसी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स पुष्प दन्त किराणा स्टोर, तह. रोड परतापुर गढी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) 500 एम.एल पैकिंग के 25 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त** खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) के 500 एम.एल के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 980/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट) के 500 एम.एल के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1758** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/185 दिनांक 18–04–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 342 दिनांक 26–03–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का नमुना कोड

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक **W-1758** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। श्रीमती सिद्धि जैन पत्नी संजीवन दोसी ने नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री जयेश दोसी पुत्र श्री विनोद दोसी निवासी– जवाहर कोलोनी तह. रोड परतापुर, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– न्यू पुष्प दन्त किराणा स्टोर, तह. रोड परतापुर बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– सन्दीप ट्रेडर्स, कोलेज रोड, बांसवाडा** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– सन्दीप ट्रेडर्स, कोलेज रोड, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का अग्रिम माल खरीद बिल **J.B. Company, 35 Third floor, Krishi Mandi, Udaipur Rajasthan** का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स **J.B. Company, 35 Third floor, Krishi Mandi, Udaipur Rajasthan** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर सम्बन्धित द्वारा **Livlite Industries Private Limited, Khewat No 171,172,174, Gudhala, Tehsil- Punhana, Dist- Nuh, Haryana** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03–03–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 01–04–2025 को अप्रार्थी स. [illegible] स्वयं, अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अधिकृत श्री सुभाष अग्रवाल पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल व अ[illegible] सं. 4 व 5 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हेमन्त कुमार नागदा पिता रामलाल नागदा उदयपुर ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर राहत दिलाने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2024/185 दिनांक 18–04–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 342 दिनांक 26–03–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1758** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी बेस्ट)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री जयेश दोसी पुत्र श्री विनोद दोसी निवासी– जवाहर कोलोनी तह. रोड परतापुर, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– न्यू पुष्प दन्त किराणा स्टोर, तह. रोड परतापुर बांसवाडा (राज) को रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– सन्दीप ट्रेडर्स कोलेज रोड बांसवाडा को रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री अरविन्द कुमार जैन (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– J.B. Company, 35 Third floor, Krishi Mandi, Udaipur Rajasthan को रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री ऋषी पाण्डेय पुत्र श्री श्यामसुन्दर पाण्डेय (नोमिनी) निवासी गली नं. 2 आर्यनगर, कोसीकला रूरल, मथुरा, उत्तरप्रदेश–281403, मैसर्स –Livind Industries Private Limited, Khewat No 171,172,174, Gudhala, Tehsil- Punhana, Dist- Nuh, Haryana को 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 01–04–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested